मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 16/11/2021

क्रमांक 893/सी.सी./2021/अड़तीस :: मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 544/94/सीसी/2021/अड़तीस, भोपाल दिनांक 15.07.2021 के द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2021–22 के अनुसार स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर एवं ए.टी.के.टी. परीक्षा दिनांक 16 दिसम्बर 2021 से 11 जनवरी 2022 के मध्य आयोजित करने तथा समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सत्र 2021–22 की शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में आदेश क्रमांक 704/सी.सी./2021/अड़तीस, भोपाल दिनांक 09.09.2021 के द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

वर्तमान समय में कोविड–19 के संक्रमण में निरन्तर कमी को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2021–22 में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसम्बर–जनवरी 2021–22 में परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ परीक्षा केन्द्रों के कक्षों में 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जिन कक्षाओं के लिए परीक्षाऍं आयोजित की जा रही हैं उनके विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा मेस की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 09.09.2021 के अनुरूप की जाएगी।

कोरोना (कोविड–19) संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

16-11-21

(वीरन सिंह मलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक: 894/सी.सी./2021/अड़तीस भोपाल, दिनांक 16/11/2021

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल म.प्र.।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय,भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय,भोपाल।
5. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. निज सहायक, अपर आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन,भोपाल।
7. निज सहायक, कुलपति समस्त परम्परागत/निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. कुल सचिव, समस्त परम्परागत/निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशा./निजी अशा. महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
12. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16-11-21

अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग